

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF MONEY-LENDING ACT, 1976¹

[U.P. ACT NO. 29 OF 1976]

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Sahukari Viniyaman Adhiniyam, 1976]

AN

ACT

to provide, in the interest of the general public, for the regulation of money-lending transactions and for the registration of money-lenders, and for matters connected therewith, or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:--

CHAPTER I

Preliminary

- | | | |
|--|----|---|
| Short title,
Lending extent and
commencement

Pradesh. | 1- | <p>(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Money-Act, 1976.</p> <p>(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf.</p> |
| Savings | 2- | <p>(1) Nothing in this Act shall apply to or in respect of –</p> <p style="padding-left: 40px;">[(a) any loan or advance by or any deposit with any bank or a co-operative society;]²</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) any loan or advance to or by or deposit with the Government or any local authority, the Life Insurance Corporation of India or any other statutory corporation or a public company (as defined in the Companies Act, 1956), or the Government Post Office Saving Bank;</p> <p style="padding-left: 40px;">(c) the purchase or sale or other transfer of any securities (not including mortgage of immovable property) in which a trustee may, under any law for the time being in force, invest trust-money ;</p> <p style="padding-left: 40px;">(d) any loan to a subscriber to, or a depositor in a provident fund to which the Provident Funds Act, 1925 applies, or any recognized provident fund as defined in clause (38) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 or the public provident fund established under the Public Provident Fund Act, 1968 from the amount standing to his credit in the fund in accordance with the rule of such fund;</p> <p style="padding-left: 40px;">(e) any agreement referred to in section 3 of the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972;</p> <p style="padding-left: 40px;">(f) any loan, advance or deposit against a <i>hundi</i> or other bill of exchange (as defined in the Negotiable Instruments Act, 1881), or a document of title to goods (as defined in the Indian Sale of Goods Act, 1930) ;</p> |

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 29, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 6, 1976).

(Received the Assent of the President on July 17, 1976 under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated July 20, 1976).

2. Ins. by U.P. Act no. 1 of 1979.

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]

[Section 3]

(g) any loan or advance to, or by, or a deposit with any society or association registered under the Societies Registration Act, 1869, or any other enactment relating to a public, religious or charitable object ;

(h) any loan advanced to a Government servant from a fund established for the welfare or assistance of such servants and which is sanctioned by the Government.

(2) Nothing in section 12 shall apply in respect of any loan of a sum exceeding rupees five thousand advanced to a registered money-lender or to a contractor or any other person carrying on any profession, trade or industry.

Definitions

3- In this Act –

(1) ‘bank’ means –

(a) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;

(b) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;

(c) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 ;

(d) a “corresponding new bank” constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ;

(e) a Regional Rural Bank established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ;

(f) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 ; or

(g) any other banking or financial institution notified by the State Government as a bank for the purposes of this Act ;

(2) ‘business of money-lending’ means the business of advancing loans, whether or not in connection with or in addition to any other business;

(3) ‘co-operative society’ means a co-operative society as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 ;

(4) ‘interest’ in relation to a loan, includes any sum, by whatever name called in excess of the principal, paid or payable to a money-lender in consideration of or otherwise in respect of the loan, but does not include any sum lawfully charged by a money-lender for or on account of costs, charges or expenses in accordance with the provision of this Act or any other law for the time being in force ;

(5) ‘loan’ means an advance at interest whether of money or in kind and includes any transaction which is in substance a loan, but does not include sale of any goods by a dealer in such goods whether on credit or on hire-purchase;

(6) ‘money-lender’ means a person who carries on the business of money-lending ;

(7) ‘principal’, in relation to a loan, means the amount actually advanced to the debtor ;

(8) ‘registration’ means registration under this Act, and ‘registered’ shall be construed accordingly.

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]

[Section 4-7]

CHAPTER II**Appointment of Officers**

Registration Authorities shall Money-Registrars of Money-thinks fit, 4- (1) The State Government may, by notification, appoint a Registrar General of Money-lending (hereinafter referred to as the Registrar General) who have jurisdiction throughout Uttar Pradesh, and as many Registrars of lending (hereinafter referred to as Registrars) or Deputy Registrars of lending (hereinafter referred to as Deputy Registrars), and Assistant Money-lending (hereinafter referred to as the Assistant Registrars), as it each having jurisdiction over such area as may be specified.

(2) The Registrar General shall have the superintendence, direction and control of and over Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars in the performance of their functions under this Act.

Power to account and any other records 5- The Registrar General, the Registrars, the Deputy Registrars and the inspect Assistant Registrars shall have such powers of inspection in respect of the accounts and other records of the business of money-lending carried on by person, and such other powers as may be prescribed.

Register of money-lenders 6- Every Registrar shall maintain for the area within his jurisdiction, a register of money-lender in such form and containing such particulars as may be prescribed.

CHAPTER III**Registration of Money-lenders**

Certificate of Registration said local where Registrar carry on 7- (1) Any person carrying on the business of money-lending on the date of commencement of this Act wishing to carry on such business after such commencement,[or any person wishing to commence such business after the date,]¹ in any part of Uttar Pradesh may apply to the Registrar within the limits of whose jurisdiction he has his principal place of such business, and his principal place of business is situated outside Uttar Pradesh, to any within the local limits of whose jurisdiction he carries on or proposes to his business, for registration as a money-lender under this Act :

Provided that any person carrying on the said business [from the date of commencement of the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Act, 1978]² of this Act may apply for registration under this Act within three months from the date of such commencement.

(2) The application shall be in such form and shall contain such particulars and shall be accompanied by a deposit of such fee, which shall be paid in such manner as may be prescribed.

(3) The Registrar shall after satisfying himself that the application is in conformity with the requirement of sub-section (2), and that the applicant is not a person against whom an order under section 16 or sub-section (2) of section 22 is for the time being in force, enter his name and other particulars in the register of money-lender referred to in section 6, and grant him a certificate of registration in the prescribed form.

1-Added by words in section 3 (a) of U.P. Act no. 1 of 1979. 2-Substituted by section 3 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]

[Section 8-11]

(4) Such certificates shall be valid throughout Uttar Pradesh and shall, unless cancelled or suspended earlier under this Act, remain in force for a

period of one year from the date of its commencement, and the money-lender shall, on payment of such fee as may be prescribed, be entitled to renewal of his certificate, unless the Registrar, for sufficient cause, refuses to renew the certificate:

Provided that no order refusing to renew a certificate shall be passed except after giving to the money-lender an opportunity of showing cause.

- | | | |
|--|----|---|
| Cancellation
a and
suspension of
certificate of
registration | 8- | <p>(1) The Registrar may, at any time, for sufficient cause cancel or suspend certificate of registration granted under section 7 :</p> <p>Provided that no order cancelling a certificate shall be passed except after giving to the money-lender an opportunity of showing cause.</p> <p>(2) Where any certificate of registration is suspended or cancelled under sub-section (1), no person shall be entitled to any compensation or to refund of any registration fee.</p> |
| Appeal | 9- | Any person aggrieved by an order of the Registrar refusing to grant a certificate under section 7 or cancelling or suspending it under section 8 may within thirty days from the date of such order prefer an appeal against the order to the Registrar General, who may thereupon pass such orders as he thinks fit. |

CHAPTER IV

Duties and Obligations of Money-lenders

- | | | |
|--|-----|--|
| Restriction on
holds a business of
money lending

section
business
for | 10- | <p>(1) No person shall carry on the business of money-lending, unless he valid certificate of registration :</p> <p>Provided that a person referred to in the proviso to sub-section (1) of 7 may, subject to other provisions of this Act, continue to carry on such for the period mentioned in that proviso and thereafter until his application registration is refused.</p> <p>(2) Every registered money-lender shall display his certificate of registration in such manner as may be prescribed.</p> |
| Maintenance
public, of liquid assets
close of | 11- | <p>(1) Every registered money-lender raising money by deposits from the shall maintain by way of liquid assets an amount which shall not, at the the business on any day, be less than twenty-five percent of his outstanding liabilities in respect of such deposits.</p> <p>(2) No money-lender, referred to in sub-section (1), shall, at any time have invested in an unsecured loan which shall, at the close of the business on any day, be more than fifty percent of the deposits held by him or double the amount of liquid assets maintained by him, whichever is greater.</p> <p><i>Explanation</i> – For the purposes of this section, the expression ‘liquid assets’, in relation to a money-lender, means –</p> <p>(a) balance of cash with the money-lender ; or</p> <p>(b) any amount held by him in a current or any other deposit account with a scheduled bank ; or</p> <p>(c) investment by him in unencumbered securities (not including mortgage of immovable property) in which trustee may, under any law for the time being in force, invest trust money.</p> |
| Maximum rate
of interest | 12- | (1) Notwithstanding anything contained in any decree, order, custom, contract or other instrument or any other law for the time being in force, no money- |

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]
12-14]

[Section
12-14]

lender shall in respect of any loan, whether advanced before or after the
commencement of this Act, be entitled to interest exceeding such rates as may be notified
under sub-section (2).

(2) The State Government may from time to time, after considering the rate of interest normally charged by a scheduled banks for commercial loans, notify the maximum rates of interest that may be charged by money-lenders :

Provided that different rates may be notified for secured and unsecured loans.

(3) Any alteration in the rate of interest notified under sub-section (2) shall not affect the validity of any claim for interest made in respect of a loan granted before such alteration.

Duties of a Money-lender 13- (1) Every money-lender shall -

- (a) mention or cause to be mentioned in every document evidencing a loan advanced by him in the course of his money-lending business –
- (i) the true principal amount ; and
- (ii) his registration number;
- (b) maintain such accounts, forms and registers as may be prescribed, and furnish to the Registrar such periodical returns as may be prescribed;
- (c) issue to the debtor or his agent a receipt attested by at least one witness for every payment made by him ; and
- (d) on payment of the prescribed charges, furnish to the debtor such documents or yearly statements of accounts as may be prescribed.

(2) A debtor to whom a document or statement of account has been furnished under clause (d) sub-section (1), shall not be bound to acknowledge or deny its correctness, and his failure to do so shall not, by itself, be deemed to be an admission of the correctness thereof.

Certain loans be made 14- (1) Every loan advanced, after the commencement of this Act, by a money-to lender shall be evidenced by a cheque, if the amount of such loan is one thousand only by cheques rupees or more :

[Provided that nothing in this sub-section shall apply to a transaction where a fresh bond or promissory note is executed in lieu of a bond or promissory note which remains wholly or partly unpaid.]¹

(2) Every transaction of money-lending in relation to a loan advanced in contravention of sub-section (1) shall be void.

1-Add proviso in section 4 by the U.P. Act No. 1 of 1979.

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]

[Section 15-18]

CHAPTER IV Procedure in Suits

Special 15- (1) The provisions of this section shall apply to every suit, whether
heard provisions *ex parte* or otherwise –
applicable to
claims by (a) by a money-lender for the recovery of a loan advanced after
the commencement of this Act ;
money-lender

(b) by a money-lender for the enforcement of any security taken or any agreement, whether by way of settlement of account or otherwise, made after the commencement of this Act in respect of any loan advanced either before or after such commencement;

(c) against a money-lender for the redemption of any security given to him after the commencement of this Act in respect of any loan advanced either before or after such commencement.

(2) In any such suit, if the court finds that the money-lender's claim is untrue, wholly or in part, and that the money-lender has omitted to comply with any of the requirements of sub-section (1) of section 13, the court may disallow his costs and may also disallow the whole or any part of the interest due to him, and where the omission relates to the requirement of giving a receipt to the debtor for any payment made by him towards the loan, or where the principal amount was untruefully stated by the money lender, may also disallow any part of the principal.

Cancellation 16-
if it or suspension
any of the of certificate
for such by court deci-
ding suit, etc.

(1) In any suit referred to in sub-section (1) of section 15, the court may, is of opinion, that the money-lender has willfully committed a breach of provisions of this Act, cancel his certificate of registration or suspend it period as may be specified.

(2) Any court of appeal or revision to which an appeal or revision has been preferred from the decision in any such suit may, for reasons to be recorded, stay the operation of any order under sub-section (1) on such terms, if any, as it thinks fit, and may modify or annul such order.

General 17-
section provisions
certificate was relating to
orders under
sections 16
and and 22

(1) The Court making an order under section 16 or sub-section (1) of 22, shall send a copy of its order to the Registrar by whom such issued, and the Registrar shall take necessary action accordingly .

(2) Each of the provisions of sub-section (2) of section 15, section 16 section 22 are in addition to and not in derogation of any other of the said provisions.

Bar to [18-
sub-certain suits section (1) of section 15 shall be instituted by a money-lender, unless at the time by
money- of advancing such loan or making such agreement or taking such security- lenders

No suit on the basis of any loan, agreement or security referred to in section (1) of section 15 shall be instituted by a money-lender, unless at the time by of advancing such loan or making such agreement or taking such security- lenders
(a) Such money-lender held a valid certificate of registration; or
(b) Such money-lender had applied for such certificate and the same had not been refused; or

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]
19-22]

[Section

(c) The period specified in the proviso to sub- section (1) of section 7 had not expired.].

Place of 19-
time institution of
advanced to a suits
personally
the
of
gain,

Notwithstanding anything contained in any contract or any law for the being in force, a suit by a money-lender for the recovery of any loan person actually or voluntarily residing or carrying on business or working for gain in Uttar Pradesh or interest due in respect thereof may, after commencement of this Act, be instituted only in a court within the local limits whose jurisdiction the debtor so resides or carries on business or works for and not in any other court :

Provided that in the case of co-debtors, the suit may be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction any of the co-debtors so resided or carries on business or works of gain.

CHAPTER IV

Deposit of Amount by Debtor

- | | | |
|--|-----|---|
| Deposit in court of money due to money-lenders | 20- | <p>(1) A debtor may, at any time, tender to a money-lender any sum of money payable by him to the money-lender in respect of a loan by way of principal, interest, or both, whether the sum has become due or not.</p> <p>(2) If the money-lender refuses to accept any sum so tendered, the debtor may deposit, the sum in the court of Munsif having territorial jurisdiction, to the account of the money-lender.</p> <p>(3) The court shall thereupon cause written notice of the deposit to be served on the money-lender, and he may, on presenting a petition stating the sum then due in respect of the loan, and his willingness to accept the said sum, receive and appropriate it first towards the interest and the residue, if any, towards the principal.</p> |
| Deposit to the sum operate as the payment to such the creditor | 21- | Where the debtor had deposited in court any amount under section 20, shall be deemed to have been paid to the money-lender, and interest on principal or on part thereof as the case may be, shall cease from the date of deposit. |

CHAPTER VII

Offences and Penalties

- | | | |
|-----------|-----|--|
| Penalties | 22- | <p>(1) Whoever willfully contravenes any of the provisions of section 20 or section 11 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.</p> <p>(2) Any court convicting a person under sub-section (1) may also cancel his certificate of registration or suspend it for such period as may be specified, and any court of appeal or revision may stay the operation of any such order on such terms, if any, as it thinks fit, and may modify or annul such order.</p> <p>(3) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (1) except with the previous sanction of the Registrar.</p> |
|-----------|-----|--|

1- Substituted by section 5 of U.P. Act no. 1 of 1979.

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]

[Section 23-25]

- | | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Penalty for molestation of fine | 23- | <p>(1) Whoever molests, or abets the molestation of, a debtor for the recovery of a debt due by him to a creditor shall, on conviction, be punishable with imprisonment of either description which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.</p> |
|---------------------------------|-----|---|

Explanation – For the purposes of this sub-section a person who –

(i) with intent to cause the debtor to abstain from doing any act which he has right to do or to do any act which he has a right to abstain from doing, obstructs or uses violence to or intimidates such debtor, or

(ii) being a money-lender or an agent or employee of money-lender, loiters on any pay day at or within fifty meters from the outer boundary or gate of the factory or office in which the debtor is employed,

shall be deemed to molest such debtor.

(2) Every offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

Offences by
companies
for
be
and

24-

(1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this section has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent of connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company, such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation – For the purposes of this section –

(a) “company” means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “Director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

Compounding
either of offences
under this
composition of

25-

(1) The Registrar General, and subject to his control, any Registrar may, before or after the institution of proceeding for an offence punishable Act, accept from any person charged with such offence, by way of the offence a sum not exceeding one thousand rupees.

(2) On payment of such sum, no further proceeding shall be taken against the accused person in respect of the same offence, and if in custody, he shall be discharged, and such composition shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded.

[The Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976]
26-31]

[Section

CHAPTER VIII Miscellaneous

Particulars of
from debts
statement in deposits to be
of such furnished by
every money
lender
lender for
within three
Regulation of

26-

and

(1) Every money-lender carrying on the business of money-lending before the commencement of this Act shall submit to the Registrar, a the prescribed form within a period of three months from the date commencement :

[Provided that the Registrar may on an application by such money-sufficient cause condone the delay and accept the statement submitted months from the date of the commencement of the Uttar Pradesh Money-Lending (Amending) Act, 1978.]¹

(2) The statement referred to in sub-section (1) shall contain the particulars of debts due to each money-lender and of deposits made with him and such other particulars as may be prescribed.

(3) Every such statement shall be counter-signed, dated and sealed by the Registrar and shall be kept and maintained in the manner prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in any contract, decree or order or any other law for the time being in force, no money-lender shall be entitled to claim any amount from a debtor in respect of any loan advance before the commencement of this Act, unless the name of such debtor and the amount due from him has been specified in the statement referred to in sub-section (1).

Finality of orders	27-	(1) No order made by any officer or authority in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court. (2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.
Power to make rules	28-	The State Government may by notification make rules for carrying out purpose of this Act.
Repeal Prades, Pradesh,	[29-	The Usurious Loans Act, 1918 as amended in its application to Uttar is hereby repealed with effect from August 10, 1976 in relation to loans and advances to which the provisions of this Act apply.] ²
Amendment (1), of U.P. Act 14 of 1940	30-	In the Uttar Pradesh Regulation of Agricultural Credit Act, 1940 clauses (3) to (5) and (7) to (13) of section 2, sections 3 to 7 and 10 to 35 shall be omitted.
Repeal of U.P. Act 44 of 1975	31-	The Uttar Pradesh Prohibition of Bonded Labour Act, 1975 is hereby repealed. 1. Added by section 6 of U.P. Act No. 1 of 1979. 2. Subs. by section 7 ibid.

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976}

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF MONEY-LENDING ACT, 1976

[U.P. ACT NO. 29 OF 1976]

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 अप्रैल, 1976 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 मई, 1976 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।}

{“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने दिनांक 17 जुलाई, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20 जुलाई, 1976 को प्रकाशित हुआ।}

जनसाधारण के हित में, साहूकारी का विनियमन करने और साहूकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम,

और प्रारम्भ

2— (1) इस अधिनियम की कोई बात —
अपवाद

[(क) किसी उधार या अग्रिम पर जो किसी बैंक या सहकारी समिति द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उसके यहां रखा जाय;]²

(ख) किसी उधार या अग्रिम पर, जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य परिनियत निगम, या सार्वजनिक कम्पनी (जैसा कि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित है) या सरकारी डाकघर बचत बैंक को या उसके द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उसके यहां रखा जाय;

(ग) कोई प्रतिभूति, जिसमें कोई न्यासी न्यासधन का विनियोजन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर सकता है, उसके क्रय या विक्रय या अन्य अन्तरण पर (जिसके अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति का बन्धक नहीं है);

(घ) कोई भविष्य निधि जिस पर प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट, 1925 लागू होता है या कोई मान्यता प्राप्त भविष्य निधि जैसा कि वह आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (38) में परिभाषित है या कोई लोक भविष्य निधि, जो लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अधीन स्थापित की गयी है, उसके अभिदाता या जमाकर्ता को, निधि में उसके नाम जमा राशि से ऐसे निधि के नियमों के अनुसार दिये गये किसी उधार पर;

(ङ) उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी करार पर;

(च) किसी उधार अग्रिम या निक्षेप पर, जो किसी हुंडी या अन्य विनियमन पत्र पर (जैसा कि वह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, में परिभाषित है) या माल पर हक की दस्तावेज पर (जैसा कि वह माल विक्रय अधिनियम, 1930 में परिभाषित है) दिया जाय;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 29 अप्रैल, 1976 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976}[धारा 3]

(छ) किसी उधार या अग्रिम पर जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के या किसी सार्वजनिक धर्मार्थ या पुण्यार्थ उद्देश्य से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या एसोसियेशन को या उसके द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उनको दिया जाय;

(ज) किसी उधार पर, जो किसी सरकारी सेवक को ऐसे सेवकों के कल्याण या सहायता के लिये स्थापित किसी निधि से दिया जाय और जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो, या उसके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) धारा 12 की कोई बात किसी रजिस्ट्रीकृत साहूकार या किसी संविदाकार या कोई वृत्ति व्यापार या उद्योग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उधार दी गयी पांच हजार रुपये से अधिक राशि के सम्बन्ध में लागू न होगी।

3— इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(1) बैंक का तात्पर्य निम्नलिखित से है :-

(क) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी ;

(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ इंडिया ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

(घ) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित "तत्समान नया बैंक",

(ङ) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक ;

(च) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था, या

(छ) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक के रूप में अधिसूचित कोई अन्य बैंककारी या वित्तीय संस्था।

(2) "साहूकारी कारबार" का तात्पर्य उधार देने के कारबार से है चाहे वह किसी अन्य कारबार के सम्बन्ध में हो या उसके अतिरिक्त हो या न हो;

(3) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित सहकारी समिति से है;

(4) "ब्याज" के अन्तर्गत उधार के सम्बन्ध में कोई ऐसी धनराशि है चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जो उधार के प्रतिफलार्थ या अन्यथा उसके सम्बन्ध में साहूकार को मूलधन के अतिरिक्त दी गई या देय हो, किन्तु उसके अन्तर्गत साहूकार द्वारा खर्च, प्रभार या व्यय के लिये या उसके कारण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विधिपूर्वक ली जाने वाली कोई धनराशि नहीं है ;

(5) "उधार" का तात्पर्य नकदी या जिन्सी ब्याज पर दी जाने वाली राशि से है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा समव्यवहार है जो तत्त्वतः उधार हो किन्तु उसके अन्तर्गत किसी माल का ऐसे माल के व्यापारी द्वारा साख पर या अवक्रय पर विक्रय नहीं है;

(6) "साहूकार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो साहूकारी का कारबार करता हो;

(7) "मूलधन" का तात्पर्य किसी उधार के सम्बन्ध में, ऋणी को वस्तुतः दी गयी धनराशि से है;

(8) "रजिस्ट्रीकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से है, और "रजिस्ट्रीकृत" का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा।

[उत्तर प्रदेश साहूकारी विनयमन अधिनियम, 1976] {धारा 4-7}

अध्याय -2

अधिकारियों की नियुक्ति

4— (1) राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके, एक प्रधान रजिस्ट्रार, साहूकारी प्राधिकारी

रजिस्ट्रीकरण

(जिसे आगे प्रधान रजिस्ट्रार कहा गया है) जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी, और उतने साहूकारी रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे रजिस्ट्रार कहा गया है) या, साहूकारी उप रजिस्ट्रार (जिन्हे आगे उप रजिस्ट्रार कहा गया है) और साहूकारी सहायक रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे सहायक रजिस्ट्रार कहा गया है) जितने वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और उनमें से प्रत्येक की अधिकारिता ऐसे क्षेत्र में होगी, जो निर्दिष्ट की जाय।

(2) प्रधान रजिस्ट्रार का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार पर इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन के संबंध में होगा।

5— प्रधान रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, को किसी भी अभिलेखों

लेखा और अन्य

व्यक्ति द्वारा किये जा रहे साहूकारी के कारबार के लेखों और अन्य अभिलेखों के सम्बन्ध में की

का निरीक्षण करने

निरीक्षण करने की शक्ति और ऐसी अन्य शक्ति होगी, जो विहित की जाय।

शक्ति

6— प्रत्येक रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत क्षेत्र के लिये साहूकारों का एक रजिस्टर

साहूकारों का

रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और उनमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय - 3

साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण

7— (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर साहूकारी का कारबार करने प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण का

वाला कोई व्यक्ति वह कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् करना चाहता है [या कोई व्यक्ति उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसा कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में प्रारम्भ करना चाहता है] तो वह, जिस रजिस्ट्रार की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके कारोबार का मुख्य स्थान स्थिति हो, उसको और जहां उसके कारबार का मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है वह किसी रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा कारबार किया जाय या करना प्रस्तावित हो, इस अधिनियम के अधीन साहूकारों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले से उक्त कारबार करने वाला कोई व्यक्ति [उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन संशोधन) अधिनियम, 1979 के प्रारम्भ के दिनांक से] 2 तीन मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है।

(2) आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जायगी, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित किये जाएं।

(3) रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदन-पत्र उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है और आवेदक ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके विरुद्ध धारा 16 या 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तत्समय प्रवृत्त है, उसका नाम और अन्य ब्योरे धारा 6 में निर्दिष्ट साहूकार रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा और उसे विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र देगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1979 की धारा 3 (क) द्वारा बढ़ाया गया।

2. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976}
8-11}

{धारा

(4) ऐसा प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मान्य होगा और जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन पहले ही निरस्त या निलम्बित न कर दिया जाय, अपने प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा, और साहूकार ऐसी फीस देने पर, जो विहित की जाय, अपने प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये हकदार होगा जब तक कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारण से प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार न करे परन्तु किसी प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि साहूकार को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

8— (1) रजिस्ट्रार किसी भी समय, पर्याप्त कारणवश, धारा 7 के अधीन दिये गये प्रमाण-

रजिस्ट्रीकरण के

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित कर सकता है :

पत्र का

निरसन और

निलम्बन

परन्तु

किसी प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि साहूकार को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र निलम्बित या निरस्त किया जाय वहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार न होगा।

9— धारा 7 के अधीन प्रमाण-पत्र न देने या धारा 8 के अधीन उसे निरस्त या

अपील

निलम्बित करने के रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रधान रजिस्ट्रार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है, जो उस पर ऐसा आदेश देगा, जिसे वह उचित समझे।

अध्याय - 4

साहूकार के कर्तव्य और दायित्व

10— (1) कोई व्यक्ति साहूकारी का कारबार नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कारबार पर रजिस्ट्रीकरण का मान्य प्रमाण—पत्र न हो :

साहूकारी के

निर्बन्धन

परन्तु धारा 7 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त परन्तुक में उल्लिखित अवधि पर्यन्त और तत्पश्चात् जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिये उसका आवेदन—पत्र अस्वीकृत न कर दिया जाय, कारबार करता रहेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार अपने रजिस्ट्रीकृत प्रमाण—पत्र का प्रदर्शन ऐसी रीति से करेगा, जो विहित की जाय।

11— (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार, जो अमानत के रूप में जनता से धन का

नकद परिसम्पत्ति

उद्ग्रहण करता है, द्रव्य सम्पत्ति (लिविड असेट्स) के रूप में ऐसी राशि को सुरक्षित रखेगा, जो कारबार की समाप्ति पर किसी दिन ऐसे अमानतों के सम्बन्ध में उसके परिषोधनीय दायित्व के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो।

अनुरक्षण

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई साहूकार किसी समय ऐसे अप्रतिभूत उधार में जो किसी भी दिन कारबार बन्द करने पर उसके पास जमा धनराशि के पचास प्रतिशत या उसके द्वारा अनरक्षित नकद परिसम्पत्तियों के दुगुने से अधिक धनराशि जो भी अधिक हो, विनियोजित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिये, साहूकार के सम्बन्ध में पद “द्रव्य सम्पत्ति” का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(क) साहूकार के पास रोकड़ बाकी ; या

(ख) किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता या किसी अन्य निक्षेप लेखे में उसके द्वारा धृत कोई धनराशि, या

{उत्तर प्रदेश साहूकारी विनयमन अधिनियम, 1976}

[धारा 12—14]

(ग) स्थावर सम्पत्ति के बन्धक को छोड़कर ऐसे भारमुक्त प्रतिभूतियों में उसके द्वारा विनियोजन, जिसमें कोई न्यासी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न्यास धन का विनियोजन कर सकता है।

12— (1) कोई साहूकार, तत्समय प्रवृत्त किसी बिक्री, आदेश, रुढ़ि, संविदा या लिखित

ब्याज की अधिकतम

दर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, ऐसी दर से अधिक दर पर ब्याज लेने का हकदार न होगा, जिसे उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किया जाय।

(2) राज्य सरकार, वाणिज्यिक उधार के लिये अनुसूचित बैंकों द्वारा सामान्यतया ली जाने वाली ब्याज की दर पर विचार करने के पश्चात् ब्याज की अधिकतम दर अधिसूचित कर सकती है, जो साहूकर ले सकता है :

परन्तु प्रतिभूत और अप्रतिभूत उधार के लिये भिन्न—भिन्न दर अधिसूचित की जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित ब्याज की दर में किसी परिवर्तन से ऐसे परिवर्तन के पूर्व दिये गये किसी उधार के सम्बन्ध में ब्याज के किसी दावे की विधिमाम्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13— (1) प्रत्येक साहूकर :

साहूकार के कर्तव्य

(क) अपने साहूकारी के कारबार के दौरान दिये गये किसी उधार के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक दस्तावेज में :—

(एक) वास्तविक मूलधन, और

(दो) अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या, उल्लिखित करेगा या करायेगा ;

(ख) ऐसा लेखा, प्रपत्र और रजिस्टर रखेगा, जो विहित किये जायें और रजिस्ट्रार को ऐसी नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाये,

(ग) ऋणी या उसके एजेंट द्वारा किये गये प्रत्येक भुगतान के लिये उसे कम से कम एक साक्षी द्वारा अभिप्रमाणित रसीद देगा, और

(घ) विहित प्रभार का भुगतान करने पर ऋणी की ऐसा दस्तावेज या वार्षिक लेखा-विवरण देगा, जो विहित किये जाये।

(2) कोई ऋणी, जिसे उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई दस्तावेज या लेखा-विवरण दिया गया हो, उसकी सत्यता को अभिस्वीकार या अस्वीकार करने के लिये बाध्य न होगा और उसके द्वारा ऐसा न करना स्वतः उसकी सत्यता को स्वीकार कर लेना नहीं समझा जायगा।

14— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी साहूकार द्वारा दिया जाने केवल चैक

कतिपय उधार

वाला प्रत्येक उधार, यदि ऐसे उधार की धनराशि एक हजार रुपये या इससे अधिक हो, चैक द्वारा दिया जायगा :

द्वारा दिया जायगा

{परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे संव्यवहार पर लागू न होगी जहां पूर्ण या आंशिक रूप से असंदत्त बन्ध-पत्र या बचन-पत्र के बदले में नया बन्ध-पत्र या बचन-पत्र निष्पादित किया जाय।}

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में दिये गये किसी उधार के सम्बन्ध में साहूकारी का प्रत्येक संव्यवहार शून्य होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1979 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश साहूकारी विनयमन अधिनियम, 1976}
15—18}

{धारा

अध्याय — 5 वाद प्रक्रिया

15— (1) इस धारा के उपबन्ध—
दावों का

साहूकार के
प्रोज्य

विशेष उपबन्ध (क) किसी साहूकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् दिये गये उधार की वसूली के लिये,

(ख) किसी साहूकार द्वारा किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिया गया हो या उसके पश्चात्, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् ली गयी किसी प्रतिभूति या किये गये किसी करार को, चाहे वह लेखा परिशोधन के रूप में या अन्य प्रकार से हो, प्रवृत्त करने के लिए,

(ग) किसी साहूकार के विरुद्ध किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उसे दी गयी किसी प्रतिभूति के मोचन के लिये,

प्रत्येक वाद पर, चाहे उसकी सुनवाई एक पक्षीय की जाय या अन्य प्रकार से, लागू हों।

(2) किसी ऐसे वाद में, यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि साहूकार का दावा, पूर्णतः या अंशतः असत्य है, और यह कि साहूकार ने धारा 13 की उपधारा (1) की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में चूक की है तो न्यायालय उसे वाद-व्यय का दिया जाना अस्वीकार कर देगा और उसे देय सम्पूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग को भी अस्वीकृत कर सकता है, और जहां इस अपेक्षा के विषय में चूक की गई है कि उधार विषयक किसी भुगतान के लिये ऋणी को रसीद दी जायगी या जहां साहूकार द्वारा मूलधन को सही नहीं बताया गया है, वहां न्यायालय मूलधन के किसी भाग को भी अस्वीकार कर सकता है।

16— (1) धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बात में, यदि न्यायालय की यह करने

वाद आदि निर्णीत

राय हो कि साहूकार ने इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का जानबूझकर उल्लंघन किया है, द्वारा

वाले न्यायालय

तो वह उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है या ऐसी अवधि के लिये, जो निरसन या विनिर्दिष्ट की जाय निलम्बित कर सकता है।

प्रमाण-पत्र का
निलम्बन

(2) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, जिसके यहां किसी ऐसे वाद के विनिश्चय के विरुद्ध कोई या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया हो, कारण अभिलिखित करके उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझें स्थगित कर सकता है, और ऐसे आदेश का परिष्कार या अभिशून्यन कर सकता है।

17— (1) धारा 16 या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश देने वाला अधीन

धारा 16 और 22 के

न्यायालय अपने आदेश की एक प्रतिलिपि उस रजिस्ट्रार को भेजेगा, जिसने उक्त प्रमाण-पत्र सामान्य जारी किया हो और रजिस्ट्रार तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

आदेशों के संबंध

उपबन्ध में

(2) धारा 15 की उपधारा (2), धारा 16 और धारा 22 के उपबन्धों में से प्रत्येक उपबन्ध, उक्त उपबन्धों में से किसी भी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त है और उनमें से किसी अन्य उपबन्ध का अल्पीकारक न होगा।

[18— किसी साहूकार द्वारा धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साहूकारों के कतिपय वादों

साहूकारों के

कतिपय उधार, करार या प्रतिभूति के आधार पर कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा, जब तक न कि ऐसा उधार देते समय या ऐसा करार करते समय या ऐसी प्रतिभूति लेते समय —

पर रोक

(क) ऐसा साहूकार रजिस्ट्रीकरण या विधिमान्य प्रमाण-पत्र धारण करता रहा हो; या

(ख) ऐसा साहूकार ऐसे प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर चुका हो, जो अस्वीकृत न कर दिया गया हो;

[उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976]

[धारा 19—22]

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि असमाप्त रही हो।]

19— तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी जाने

वाद संस्थित किये

साहूकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करने वाले या कोई कारबार करने वाले या लाभ के लिये स्वयं कार्य करने वाले व्यक्ति को दिये गये किसी उधार या उसके सम्बन्ध में देय ब्याज की वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् वाद केवल ऐसे न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऋणी निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है, न कि किसी अन्य न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है :

का स्थान

परन्तु सह-ऋणी की स्थिति में वाद ऐसे न्यायालय से संस्थित किया जायगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई सह-ऋणी निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिये कार्य करता है।

अध्याय — 6

ऋणी द्वारा धनराशि का जमा किया

जाना

20— (1) कोई ऋणी अपने द्वारा साहूकार को किसी उधार के सम्बन्ध में मूल धन, धनराशि

साहूकार को देय

ब्याज या दोनों के रूप में देय धनराशि का निविदा साहूकार को कर सकता है, भले ही वह जमा धनराशि देय हो चुकी हो या नहीं।

का न्यायालय में

किया जाना

(2) यदि साहूकार, इस प्रकार निविदत्त कोई धनराशि स्वीकार न करे तो ऋणी उस धनराशि को मुन्सिफ के न्यायालय में, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता हो, उस साहूकार के नाम जमा कर सकता है।

(3) तदुपरांत न्यायालय जमा की गयी धनराशि का लिखित नोटिस साहूकार पर तामील करायेगा, और वह ऐसी याचिका देने पर, जिसमें उधार के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि और उक्त धनराशि को लेने की स्वीकृति उल्लिखित होगी, उस धनराशि को

प्राप्त कर सकता है और उसका विनियोजन प्रथमतः ब्याज के प्रति और अवशेष धनराशि का, यदि कोई हो, मूलधन के प्रति कर सकता है।

21— जहां ऋणी ने धारा 20 के अधीन कोई धनराशि न्यायालय में जमा की हो वहां जमा की गई धनराशि
ऐसी धनराशि साहूकार को भुगतान की गयी समझी जायगी, और यथास्थिति, मूलधन या उसके भुगतान की साहूकार को
भाग पर ब्याज का लगाना इस प्रकार जमा किये जाने के दिनांक से समाप्त हो जायगा। गई समझी जायगी

अध्याय — 7

अपराध और शास्ति

22— (1) धारा 10 या धारा 11 के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन करने शास्ति वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र भी निरस्त कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिये निलम्बित कर सकता है, जो विनिर्दिष्ट की जाय, और कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे किसी आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है और ऐसे आदेश को परिष्कृत या निष्प्रभावी कर सकता है।

(3) कोई न्यायालय, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

1— उ0प्र0 अधिनियम सं0 1 वर्ष 1979 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976}

{धारा

23—25}

23— (1) जो कोई ऋणी द्वारा ऋणदाता को देय ऋण की वसूली के लिये ऋणी को उत्पीड़ित करने उत्पीड़ित करता है या उत्पीड़ित करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, वह दोष सिद्ध पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा। के लिए शास्ति

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति जो —

(एक) इस आशय से कि ऋणी को उस कार्य से, जिसे करने का उसे अधिकार है, विरत कराया जाय, या वह कार्य, जिसे विरत होने का उसे अधिकार है, उससे कराया जाय, उस ऋणी का अवरोध करता है या उसके प्रति हिंसा या अभित्रास का प्रयोग करता है, या

(दो) साहूकार या साहूकार का एजेंट या कर्मचारी होने के नाते किसी वेतन दिवस पर उस कारखाना या कार्यालय की बाहरी सीमा या फाटक पर जिसमें ऋणी सेवायोजित हो, या उससे पचास मीटर के अन्दर चक्कर लगाता है, वह उस ऋणी का उत्पीड़न करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

24— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति अपराध

कम्पनियों द्वारा

कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इसके अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी

के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उपेक्षा जनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समस्त अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

25— (1) प्रधान रजिस्ट्रार, और उसके नियंत्रण के अधीन, कोई रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये कार्यवाही संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध के लिए किसी दोषारोपित व्यक्ति से अपराध के शमन के रूप में एक हजार रुपये से अनधिक राशि स्वीकार कर सकता है।

अपराधों का शमन

(2) ऐसी राशि के भुगतान करने पर, उसी अपराध के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी, और यदि अभिरक्षा में हो, तो उसे उन्मुक्त कर दिया जायगा और ऐसे शमन का प्रभाव उस अभियुक्त को दोषमुक्त करना होगा, जिसके अपराध का शमन किया गया हो।

{उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976}
26—31}

{धारा

अध्याय — 8

प्रकीर्ण

26— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व से साहूकारी का कारबार करने वाला प्रत्येक साहूकार रजिस्ट्रार को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विवरण—पत्र प्रस्तुत करेगा :

{परन्तुक रजिस्ट्रार ऐसे साहूकार द्वारा आवेदन पत्र देने पर, पर्याप्त कारण होने पर विलम्ब का माफ कर सकता है और उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर प्रस्तुत किये गये विवरण—पत्र को सवीकार कर सकता है।}

प्रत्येक साहूकार

और जमा धनराशि

ब्यौरा देगा

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, विवरण—पत्र में, प्रत्येक साहूकार को प्राप्य ऋण और उसके पास जमा धनराशि का ब्यौरा और ऐसा अन्य ब्यौरा दिया जायगा, जो विहित किया जाय।

(3) प्रत्येक ऐसे विवरण—पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे और मुहर लगायी जायगी और उन्हें विहित रीति से रखा और अनुरक्षित किया जायगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, डिक्री या आदेश या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई साहूकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी उधार के संबंध में किसी ऋणी से किसी धनराशि के दावा करने का हकदार न होगा, जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण—पत्र में ऐसे ऋणी का नाम और उससे प्राप्त धनराशि विनिर्दिष्ट न हो।

27— (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

आदेशों का अंतिम

(2) इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

28— राज्य सरकार, अधिसूचना प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को नियम बनाने की शक्ति कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

{29— उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित अतिव्याज उधार निरसन अधिनियम, 1918 को ऐसे उधार और अग्रिम के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, दिनांक 10 अगस्त, 1976 से एतद्वारा निरसित किया जाता है।}2

30— यू0पी0 रेगुलेशन आफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट, 1940 में धारा 2 के खंड (1) यू0पी0 ऐक्ट 14, 1940 का (3) से (5) और (7) से (13), धारा 3 से 7 और 10 से 35 निकाल दी जायगी। संशोधन

31— उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1975 एतद्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1975 का निरसन

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1979 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

